

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2016—चैत्र 11, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ-बी-1-25-2015-2-पांच-(9).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड), (छ) तथा (ज), के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक तथा धारा 63 और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक बी-1-14-2015-2-पांच-(09), दिनांक 31 मार्च, 2015 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित नगर निगम वाले शहर एवं स्थानों पर स्थित रेस्तरां बार (एफ.एल.-2) के लिए उसके सारणी के कॉलम (3) में दर्शाए गए अनुसार वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	रेस्तरां का स्थान (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
1	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में	रुपये 8,00,000/-
2	उज्जैन, सागर एवं रीवा के नगर निगम क्षेत्र में	रुपये 7,00,000/-
3	अन्य नगर निगम क्षेत्र में	रुपये 6,00,000/-
4	उपरोक्त से भिन्न में	रुपये 5,00,000/-
5	वन्य पर्यटन क्षेत्र, जिसे पर्यटन विभाग की अनुशंसा पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाए.	रुपये 1,00,000/-
6	कूज बोट	रुपये 1,00,000/-
7	मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग/निगम के स्वामित्व की इकाईयों में संचालित रेस्तरां.	स्थान अनुसार प्रायवेट सेक्टर के रेस्तरां के लिए देय अनुज्ञप्ति फीस का 50 प्रतिशत.

नोट.—नवीन रेस्तरां बार (एफ. एल.-2), अनुज्ञप्तियों के लिए वार्षिक लायसेंस फीस जिस माह में लायसेंस स्वीकृत की है उसे पूर्ण एक माह मानकर, वर्ष की अवधि के बचे हुए माहों की संख्या के आधार पर, प्रतिमाह के लिए वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12 भाग के मान से समानुपातिक (Prorata) आधार पर प्रभारित की जाएगी. नवीनीकरण की स्थिति में यह सम्पूर्ण वर्ष के लिए प्रभारित होगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. बी-1-25-2015-2-पांच-(09).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-25-2015-2-पांच-(09), दिनांक 31 मार्च, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 31st March 2016

No. F-B-1-25-2015-2-V (9).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 read with proviso of sub-section (3) and Section 63 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign liquor Rules, 1996, and in supersession of this Department's Notification No. B-1-14-2015-2-V(09) dated the 31st March 2015, the State Government, hereby prescribes the annual licence fee for Restaurant Bar (F. L.-2) Licences as shown in column (3) of the table below for the category of place and city having municipal corporation mentioned in the corresponding entry in column (2) thereof namely:—

TABLE

S.No. (1)	Place of Restaurant (2)	Licence Fee per annum (3)
1	In Municipal Corporation area of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior.	Rs. 8,00,000/-
2	In Municipal Corporation area of Ujjain, Sagar and Rewa	Rs. 7,00,000/-
3	In other Municipal Corporation area	Rs. 6,00,000/-
4	Other than above	Rs. 5,00,000/-
5	Forest safari area schedule by the Commercial Taxes Department as per recommended by the Tourism Department.	Rs. 1,00,000/-
6	Cruise Boat	Rs. 1,00,000/-
7	Restaurant run in ownership of Madhya Pradesh Tourism Development Corporation.	As per location, for the private sector Restaurant 50% of the payable licence fee.

Note.—The annual licence fee for the new Restaurant Bar (F. L.-2), the month shall will be considered as a whole month in which the licence is approved and on the basis of the remaining number of months of the year, the monthly licence fee shall will be charged 1/12 of the annual licence fee on pro-rata basis. In the case of renewal, it shall will be charged for the whole year.

2. This notification shall come into force from 1st April 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ SHRIVASTAVA, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ-बी-1-25-2015-2-पांच-(10).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड), (छ) तथा (ज), के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक तथा धारा 63 और मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक बी-1-14-2015-2-पांच-(08), दिनांक 31 मार्च, 2015 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित होटल के स्थान के लिए उसके कॉलम (3) में दर्शाई गई वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस होटल बार (एफ.एल-3) अनुज्ञप्तियों और रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-क) अनुज्ञप्तियों के लिए विहित करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	होटल का स्थान (2)	वार्षिक लायसेंस फीस (3)
1	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में	रुपये 12,00,000/-
2	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर जिलों में नगर निगम क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में	रुपये 7,00,000/-
3	उज्जैन, सागर एवं रीवा नगर निगम क्षेत्र में	रुपये 8,00,000/-
4	उज्जैन, सागर एवं रीवा जिले में नगर निगम क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में	रुपये 6,00,000/-
5	उपरोक्त से भिन्न, किसी जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में	रुपये 6,00,000/-
6	उपरोक्त से भिन्न	रुपये 5,00,000/-
7	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैरिटेज होटल, जो पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हों	रुपये 2,00,000/-
8	मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग/निगम के स्वामित्व की इकाईयों में संचालित होटल	स्थान अनुसार प्रायवेट सेक्टर के होटल के लिये देय लायसेंस फीस का 50 प्रतिशत.
9	रिसोर्ट बार (एफ. एल.-3-क) लायसेंस वन्य पर्यटन क्षेत्र, जिसे पर्यटन विभाग की अनुशंसा पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाये.	रुपये 3,00,000/-
10	ईको एडवेंचर पर्यटन के अधीन चिन्हित स्थलों पर होटल बार लायसेंस	

अनुक्रमांक (1)	स्थान की श्रेणी (2)	वार्षिक लायसेंस फीस (3)
1	क-श्रेणी के लिए	रुपये 2,00,000/-
2	ख-श्रेणी के लिए	रुपये 1,50,000/-
3	ग-श्रेणी के लिए	रुपये 1,00,000/-

नोट.—(1) होटल के एक रेस्तरां एवं रूम सर्विस के लिए उपरोक्त वार्षिक लायसेंस फीस ही देय होगी. होटल में एक से अधिक रेस्तरां होने पर, उनमें मदिरा परोसने के लिए, ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त रेस्तरां के लिये (मदिरा का संग्रह एक ही स्थान पर रखते हुये) देय वार्षिक लायसेंस फीस के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि, पृथक् से लायसेंस फीस के रूप में प्रभारित की जायेगी.

(2) नवीन होटल बार (एफ. एल. 3), रिसोर्ट बार (एफ. एल.-3-क) लायसेंसों के लिए वार्षिक लायसेंस फीस जिस माह में लायसेंस स्वीकृत किया गया है, उसे पूर्ण एक माह मानकर एवं वर्ष की शेष अवधि के बचे हुए माहों की संख्या के आधार पर, प्रतिमाह के लिये वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12 भाग के मान से समानुपातिक (Pro-rata) आधार पर प्रभारित की जायेगी. नवीनीकरण की स्थिति में यह सम्पूर्ण वर्ष के लिये प्रभारित होगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. बी-1-25-2015-2-पांच-(10).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-25-2015-2-पांच-(10), दिनांक 31 मार्च, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 31st March 2016

No. F-B-1-25-2015-2-V (10).—In exercise of the powers conferred by clauses (e), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 read with proviso to sub-section (3) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign liquor Rules, 1996, and in supersession of this Department's earlier Notification No. B-1-14-2015-2-V(08) dated the 31st March 2015, the State Government, hereby prescribes the annual licence fee for Hotel Bar (F. L.-3) Licences and Resort Bar (F. L. 3-A) Licences, as shown in column (3) of the table below for the location of hotel in the corresponding entry in column (2) thereof namely:—

TABLE

S. No. (1)	Place (2)	Licence Fee per annum (3)
1	In Municipal Corporation area of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior.	Rs. 12,00,000/-

(1)	(2)	(3)
2	Situated in other then Municipal Corporation area of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior.	Rs. 7,00,000/-
3	In Municipal Corporation area of Ujjain, Sagar and Rewa	Rs. 8,00,000/-
4	Situated in other then Municipal Corporation area of Ujjain, Sagar and Rewa.	Rs. 6,00,000/-
5	Other then above, in any town area of district head quarter	Rs. 6,00,000/-
6	Other then above	Rs. 5,00,000/-
7	Heritage Hotel situated in rural areas which are recognized by Tourism Department.	Rs. 2,00,000/-
8	Hotel run in ownership of Madhya Pradesh Tourism Development Corporation.	As per location, for the private sector Hotel, 50% of the payable licence fee.
9	For Resort Bar (F. L.-3-A) Licences	
	Forest safari area schedule by the Commercial Tax Department as per recommended by the Tourism Department.	Rs. 3,00,000/-
10	Hotel bar license at Category of Place identified under eco-adventure tourism.	

S. No. (1)	Place (2)	Licence fee per annum (3)
1	A-Category	Rs. 2,00,000/-
2	B-Category	Rs. 1,50,000/-
3	C-Category	Rs. 1,00,000/-

Note.—(1) Above licence fee payable for the one restaurant of hotel and room service. Having more than one restaurant in hotel, for such each additional restaurant to servings liquor (Liquor stored in one place), additional licence fee chargeable 10% of the separately payable annual licence fee.

(2) The annual license fee for New Hotel Bar (FL-3) and Resort Bar (FL-3-A), the month will be considered as a whole month in which the license is approved and on the basis of the remaining number of months of the year, the monthly license fee will be charged 1/12 of the annual license fee on pro-rata basis. In the case of renewal, it will be charged for the whole year.

2. This notification shall come into force from 1st April 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ SHRIVASTAVA, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. एफ-बी-1-25-2015-2-पांच-(11).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) तथा (छ) के साथ पठित उपधारा (3) के परन्तुक और धारा 63 तथा मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक बी-1-14-2015-2-पांच-(10), दिनांक 31 मार्च, 2015 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित अनुज्ञप्ति के स्थान के लिए, वाणिज्यिक क्लब बार (एफ. एल.-4-क) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) के लिए उसके कॉलम (4) में दर्शाये गये अनुसार वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है, अर्थात्:—

सारणी

क्रम (1)	प्रकार (2)	श्रेणी (3)	वार्षिक लायसेंस फीस (4)
1.	सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) लायसेंस		रुपये 1,00,000/-
2.	व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) लायसेंस	नगर निगम वाले जिलों में स्थित क्लब	रुपये 6,00,000/-
		उपरोक्त से भिन्न अन्य जिलों में स्थित क्लब	रुपये 3,00,000/-

नोट.—(1) नवीन क्लब बार (एफ.एल.-4/एफ.एल.-4-क) लायसेंसों के लिए वार्षिक लायसेंस फीस जिस माह में लायसेंस स्वीकृत की गयी है, उसे पूर्ण एक माह मानकर वर्ष की अवधि के बचे हुए माहों की संख्या के आधार पर, प्रतिमाह के लिये वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12 भाग के मान से समानुपातिक आधार पर प्रभारित की जायेगी. नवीनीकरण की स्थिति में यह सम्पूर्ण वर्ष के लिये प्रभारित होगी.

(2) व्यवसायिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) लायसेंसों की वार्षिक लायसेंस फीस जिला इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये समान लायसेंस फीस प्रभारित की जायेगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2016 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2016

क्र. बी-1-25-2015-2-पांच-(11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-25-2015-2-पांच-(11), दिनांक 31 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 31st March 2016

No. F-B-1-25-2015-2-V (11).—In exercise of the powers conferred by clauses (e) and (g) of sub-section (2) of Section 62 read with proviso to sub-section (3) and Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, and in supersession of this Department's earlier notification No. B-1-14-2015-2-V(10), dated 31st March 2015, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Commercial Club Bar (F.L.-4-A) and Civilian Club Bar (F.L.-4) Licences as shown in column (4) of the table below for the place of the Licence mentioned in the corresponding entry in column (3) thereof, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Type of Licence (2)	Place of the licence (3)	Licence fee per annum (4)
1.	Civilian Club Bar (F.L.-4) Licence		Rs. 1,00,000/-
2.	Commercial Club Bar (F.L.4-A) Licence	Club situated at district having municipal corporation	Rs. 6,00,000/-
		Club situated in another district other than as a above	Rs. 3,00,000/-

Note.—(1) The annual license fee for the new Club Bar (FL-4/FL4A), the month will be considered as a whole month in which the license is approved and on the basis of the remaining number of months of the year, the monthly license fee will be charged 1/12 of the annual license fee on pro-rata basis. In the case of Renewal, it will be charged for the whole year.

(2) The annual license fee for Commercial Club Bar (F.L.-4-A) Licence for the district area of Indore, Bhopal, Jabalpur and Gwalior and rural area should be equally charged.

2. This notification shall come into force from 1st April 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ SHRIVASTAVA, Principal Secy.